छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–:: मंत्रालय ::–

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

:: विज्ञापन ::

विज्ञापन संख्या एफ 5–9/2021/29–2, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18 जुलाई. 2022

छ. ग. राज्य के निम्नलिखित जिला उपभोक्ता आयोगो में उनके सम्मुख अंकित अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:–

1. जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष के पद की रिक्तियों का विवरण

क्रमांक	जिला उपभोक्ता आयोग	रिक्त पदो की संख्या
1	रायपुर	01
2	बिलासपुर	01
3	दुर्ग	01
4	सरगुजा (अम्बिकापुर)	01
5	धमतरी	01
6	कोरबा	01
7	जांजगीर चांपा	01
8	जगदलपुर (बस्तर)	01

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 08 फरवरी 2021 द्वारा अंगीकृत छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग–पत्र और हटाना) नियम–2020 के कंडिका कमांक 6.6 के प्रावधान के सदर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं में उल्लेखित शर्तो की पूर्ति करने वाले एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 18.08.2022 कार्यालयीन समय तक होगी।

1. जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष पद हेतु प्रकिया–

1.1 अर्हता –

(1) कोई व्यक्ति जो जिला न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रहा हो अथवा होने के लिए अर्ह हो, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के अर्ह होगा।

छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5–5/2012/29–2 दिनांक 01.10.2021 के अनुसार माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अधिसूचना कमांक एफ नं. 2985/943/21–बी/सी.जी. द्वारा अधिसूचित उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियम 2006 के नियम 2 (डी) में जिला न्यायाधीश की परिभाषानुसार

"जिला न्यायाधीश मे जिला न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समाहित है के अनुसार होगा।"

(2) छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5–5/2012/29–2 दिनांक 01.10.2021 के अनुसार उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2006 नियम 2 (ए) के अनुसार अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में अधिवक्ता की जो परिभाषा उपबंधित की गई है, वह अधिवक्ता है।

(3) छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5–5/2012/29–2 दिनांक 01.10.2021 के अनुसार उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2006 नियम 7 के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिला न्यायाधीश होने के लिये अर्ह होगा जो :–

1. भारत का नागरिक हो।
2. विज्ञापन जारी किये जाने के पूर्व न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष हो। जिला न्यायाधीश होने की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा माननीय उच्च न्यायालय के रिट याचिका (एस) 42/2022 आदेश दिनांक 01.02.2022 के परिप्रेक्ष्य में अधिकतम आयु 65 वर्ष होना चाहिए (अधिकतम आयु सीमा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट अपील के अध्यधीन होगी)
3. विज्ञापन जारी होने की तिथि तक 7 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहा हो।
4. उत्तम चरित्र, मानसिक रूप से स्वस्थ तथा किसी भी शारीरिक या मानसिक अक्षमता से ग्रस्त न हो।
5. माननीय उच्च न्यायालय के रिट याचिका (एस) 42/2022 आदेश दिनांक 01.02.2022 के निर्देश योग्यता के संबंध में प्रभावशील होंगे (रिट अपील के अध्यधीन रहेंगे)।

जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति के लिये अनर्हता–

कोई व्यक्ति राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये अनर्ह होगा यदि वह –

1. ऐसे किसी अपराध जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो, के लिए अभियोजित किया गया हो और कारावास की सजा प्राप्त हो, अथवा
2. दिवालिया घोषित किया गया हो, अथवा
3. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क और सोच का घोषित किया गया हो, अथवा

4. राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणधीन किसी निकाय कार्पोरेट की सेवा से हटाया गया हो अथवा निष्कासित किया गया हो, अथवा

5. राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यो के वित्तीय अथवा अन्य लाभों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

(4) **वेतन–भत्ते–** राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 08.02.2021 द्वारा अंगीकृत जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के वेतन भत्ते उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के सदस्यों का वेतन भत्ते एवं सेवा की शर्ते) नियम–2020 की कंडिका 03 में प्रावधान अनुसार होगा ।

(5) **नियुक्ति की प्रकियाः–** छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग–पत्र और हटाना) नियम–2020 के कंडिका क्रमांक 6 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा ।

(6) **कार्यकालः–** जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 04 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक पद पर रहेंगे ।

(7) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ **1000 रू (एक हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट** किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो **रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर** के पक्ष में देय हो संलग्न किया जावेगा।

(8) अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित राशि का **बैंक ड्राफ्ट** संलग्न कर **रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पंडरी बस स्टैण्ड के पीछे रायपुर पिन नंबर–492001** को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा **दिनांक 18.08.2022 को कार्यालयीन समय तक** सीधे प्रेषित किया जायेगा।

(9) अभ्यर्थी विज्ञापन का विस्तृत विवरण, आवेदन का प्रारूप छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर की वेबसाईट **http://cgscdrc.cg.nic.in एवं छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग के वेबसाईट http://khadya.cg.nic.in** प्राप्त कर सकते हैं।

(10) अभ्यर्थी उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, अनर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग–पत्र और हटाना) नियम–2020 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के सदस्यों का वेतन भत्ते एवं सेवा की शर्ते) नियम–2020 के संबंध में विस्तृत विवरण छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर की वेबसाईट **http://cgscdrc.cg.nic.in** से प्राप्त कर सकते हैं।

(11) आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किया जावे ।

1. आयु के समर्थन में हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो;
2. शैक्षणिक योग्यता हेतु स्नातक की अंकसूची;
3. कार्यक्षेत्र के ज्ञान एवं संबंधित क्षेत्र में नियम में निर्धारित वर्षो के कार्य अनुभव के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र;
4. यदि पूर्व में सेवारत हैं तो अनुभव के समर्थन में प्रमाण पत्र;
5. आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि को सेवा में होने पर नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र
6. अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाला कार्यानुभव प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने की तिथि के एक माह से अधिक पूर्व का नहीं होना चाहिए उक्त प्रमाण पत्र सत्र न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा अधिकृत न्यायाधीश द्वारा जारी होना चाहिए।
7. निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट

(12) राज्य शासन द्वारा अभ्यर्थी की नियुक्ति किसी भी जिला उपभोक्ता आयोग में की जा सकती है। अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन में दर्शित जिलों में से एक या एक से अधिक जिलों में रिक्त पदो के लिये आवेदन में प्राथमिकता के आधार पर विकल्प दिया जा सकेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा सीमित मात्रा में विकल्प दिये गये हैं और उन दिये गये विकल्पों में से किसी स्थान पर प्राथमिकता क्रम में नियुक्त किये जाने हेतु वह चयनित नहीं होता तो शेष जिलों, जिन्हें उसने विकल्प में नहीं चुना है, के लिये उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा चाहे वह वरीयता सूची में किसी भी स्थान पर हो। उपरोक्त संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

(13) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में नही होने, अपूर्ण होने या इस विज्ञापन की तिथि के पूर्व अथवा विज्ञापन में आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित की गई अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।

टीप– उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, अनर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग–पत्र और हटाना) नियम–2020 के नियम 10 के अनुसार जिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 04 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा तथा 65 वर्ष की आयु के अध्यधीन 04 वर्ष के दुसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे।

18/8

(मनोज कुमार सोनी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग

जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञापन संख्या एफ   दिनांक.....................................

अभ्यर्थी अपनी अद्यतन स्वप्रमाणित फोटो चिपकायें ।

1. आवेदित पद का नाम ....
2. आवेदित जिला उपभोक्ता आयोग का नाम ....
3. अभ्यर्थी का नाम ....
   (क) हिन्दी में ....
   (ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरो में ....
4. पिता/पति का नाम ....
   (क) हिन्दी में..
   (ख) अंग्रेजी के बडे अक्षरों में...
5. (क) जन्म तिथि (प्रमाण पत्र सहित)..
   (ख) विज्ञापन की तिथि को आयु–..................वर्ष.................माह............दिन
6. (क) शैक्षणिक योग्यता (आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी सभी अंकपत्र, प्रमाण पत्र व डिग्री संलग्न करना आवश्यक होगा)

   ....

   ....

   (ख) विशेष योग्यता (यदि कोई हो तो उसका अंकपत्र, प्रमाण पत्र व डिग्री संलग्न करना आवश्यक होगा)..

   ....

   1. (क) क्षेत्र जिसमें कार्य का पर्याप्त ज्ञान व अनुभव रखते हैं, का ब्यौरा.

      ....

      ....

      (ख) कितने वर्ष का अनुभव रखते हैं। (समुचित प्रमाण पत्र/साक्ष्य सहित)

      ....

      ....

7. (क) स्थायी पता..

   ....

   ....

(ख) पत्र व्यवहार का पता..

....

(ग) ईमेल आईडी..

(घ) दूरभाष क्रमांक .... मोबाईल नम्बर ....

(ङ) गृह जिला..

8.

(क) वर्तमान व्यवसाय...

(ख) पूर्व में किसी राज्य के न्यायिक अधिकारी रहे हैं तो (विवरण)

....

(ग) पूर्व सेवा/व्यवसाय के अनुभव का विवरण, यदि कोई हो (प्रमाण पत्र सहित)......

....

9. श्रेणी (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति) ....

....

(आरक्षित वर्ग के समर्थन में प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये)

10. अभ्यर्थी के पिता तथा पति/पत्नी के व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण

(क) पिता..

(ख) पति/पत्नी...

11. यदि अभ्यर्थी का निकट संबंधी राज्य उपभोक्ता विवाद, प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के पद पर कार्यरत है, तो उसका उल्लेख करें। ..

....

....

12. **(क)** यदि किसी अभ्यर्थी जो पूर्व में अपर जिला जज/जिला जज रहे है अथवा कार्यरत है वह जिला आयोग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, उसके विरूद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई है तो उसकी वर्तमान स्थिति/उसका परिणाम का विवरण अंकित करें :–

....

....

....

(ख) यदि अनिवार्यता सेवानिवृत्ति अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृति हुई हो उसका विवरण अंकित करें :–

....

....

....

(ग) यदि सेवायोजन अवधि में गत वित्तीय 10 वर्षो में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त हुई हो तो उसका विवरण अंकित करें तथा उसकी प्रति भी संलग्न करें

....

....

....

(घ) यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अभ्यर्थी को आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो, या ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो, तो उसका विवरण

....

....

....

13. अभ्यर्थी यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी उपक्रम में कार्यरत है अथवा रहे हैं तो निम्न विवरण अंकित करें:—

(क) विभाग का नाम...

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी का पद नाम...

(ग) सेवा अवधि (किस तिथि से किस तिथि तक कार्यरत रहे)...........................

(घ) वेतनमान एवं मूलवेतन..

(ङ) सेवानिवृत्ति तिथि...

(च) विभाग का पत्र व्यवहार का पता...

....

....

(छ) सेवानिवृत्ति के समय पदनाम...

14.. अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर **रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पंडरी बस स्टैण्ड के पीछे रायपुर पिन नंबर–492001** को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सीधे प्रेषित किया जायेगा। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

15.. अन्य विवरण, यदि कोई हो...

16.. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो का विवरण

तिथि.................................. अभ्यर्थी का हस्ताक्षर...

स्थान.................................. अभ्यर्थी का नाम..

घोषणा पत्र

मै...घोषणा करता/करती हूँ कि –
(1) मैने विज्ञप्ति में की गई पात्रता की शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ, वह मुझे मान्य है और वे शर्ते मै पूरी करता/करती हूँ। (2) मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही है और मैनें इन विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पाये जाये या कोई मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जायें। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर..

अभ्यर्थी का नाम..